भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3536
दिनांक 21.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अनिवासी भारतीयों के पार्थिव शरीर का नि:शुल्क परिवहन

3536. **श्री शफी परम्बिल:**
क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेश से मृत भारतीयों के पार्थिव शरीर को भारत लाने की मौजूदा प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ऐसा कोई अनुरोध है कि अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के पार्थिव शरीर को नि:शुल्क भारत भेजा जाए; और
(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा पार्थिव शरीर को भारत लाने में मृतक के परिवारों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) से (ग) मंत्रालय के पास विदेश स्थित सभी मिशनों/केंद्रों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक सुस्थापित तंत्र/ एसओपी है, ताकि विदेश में संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान की जा सके, जिसमें मृत्यु के मामले, स्थानीय स्तर पर अंतिम संस्कार/शवाधान या पार्थिव शरीर को भारत में उनके गृहनगर तक पहुंचाना तथा बीमा/मुआवजा दावों का निपटान शामिल है।
विदेश में दिवंगत भारतीयों के पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए कुछ औपचारिकता को पूरा किया जाना अपेक्षित होता है, जिसके पश्चात स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पार्थिव शरीर को भारती भेजे जाने की अनुमति दी जाती है। यदि मृत्यु अप्राकृतिक है, तो पुलिस जांच पूरी की जानी अपेक्षित होती है। ऐसे मामलों के लिए सभी भारतीय मिशनों/केंद्रों में एकल विंडो स्वीकृति का प्रावधान है।जैसे ही किसी भारतीय नागरिक की मृत्यु की सूचना विदेश स्थित संबंधित भारतीय मिशन/केंद्र को मिलती है, वे स्थानीय विदेश कार्यालय और अन्य संबंधित प्राधिकारियों से भारतीय नागरिक की मृत्यु के कारण के बारे में रिपोर्ट मांगकर उस पर सक्रिय कार्रवाई करते हैं।विदेश स्थित हमारे मिशन/केंद्र मृतक भारतीय नागरिक के निकटतम संबंधियों को सूचित करते हैं, तथा मृतक के परिवार की इच्छा के अनुसार पार्थिव शरीर को भारत लाने या स्थानीय स्तर पर अंतिम संस्कार करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

भारतीयों के पार्थिव शरीर को वापस लाने में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

I. यदि परिवार के सदस्य पार्थिव शरीर को वापस ले जाने के लिए विदेश आने में असमर्थ हैं,तो उन्हें विदेश में सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपनी ओर से किसी व्यक्ति को नामित करना होगा।

II. प्राधिकृत व्यक्ति/नियोक्ता/विश्वविद्यालय प्राधिकरण को बीमा कंपनी (यदि कोई हो) को सूचित करना होगा।

III. प्राधिकृत व्यक्ति/नियोक्ता/विश्वविद्यालय प्राधिकरण को एक ट्रांसपोर्टर (बीमा कंपनी, यदि कोई हो, के परामर्श से) नामित करना होगा।

IV. यदि लागू हो तो पुलिस प्राधिकारियों से एफआईआर की एक प्रति प्राप्त की जानी अपेक्षित होती है।

V. ट्रांसपोर्टर को पार्थिव अवशेष के संरक्षण, उसे ताबूत में रखने और क्वारंटीन संबंधी औपचारिकताएं यथाशीघ्र पूरी करनी होंगी।

VI. प्राधिकृत व्यक्ति/नियोक्ता/विश्वविद्यालय प्राधिकरण/ट्रांसपोर्टर को पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने के लिए हवाई टिकट बुक करना होगा।

VII. प्राधिकृत व्यक्ति को एफआईआर, यदि कोई हो, मेडिकल प्रमाण पत्र /मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल पासपोर्ट, शव-संरक्षण प्रमाण पत्र, ताबूत संबंधी प्रमाण पत्र, क्वारंटीन प्रमाण पत्र, परिवार द्वारा दिया गया प्राधिकार पत्र, सामान की सूची, एयर वे बिल (प्रतिलिपि या विस्तृत जानकारी) जैसे दस्तावेज़ प्राप्त करने और मृतक के पासपोर्ट को रद्द करने तथा "मृत्यु प्रमाण पत्र और एनओसी"जारी करने के लिए दूतावास/ कोंसलावास को उन्हें प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

VIII. यदि आवश्यक हो तो परिवार को भारतीय हवाई अड्डे पर पार्थिव शरीर को लेने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत करना होगा।

पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए भारतीय मिशनों/केंद्रों को विभिन्न देशों के प्राधिकारियों के साथ निम्नलिखित पहलुओं पर संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता है:

I. संबंधित अस्पताल से जारी मेडिकल रिपोर्ट/मृत्यु प्रमाण पत्र;
II. आकस्मिक या अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में पुलिस रिपोर्ट (अंग्रेजी अनुवाद सहित, यदि रिपोर्ट किसी अन्य भाषा में है);
III. स्थानीय स्तर पर अंतिम संस्कार/शवाधान /पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए मृतक के निकटतम संबंधी से सहमति पत्र;
IV. आवश्यकतानुसार परिवहन या स्थानीय अंतिम संस्कार/ शवाधान के लिए मिशन/केंद्र द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना;
V. विदेश में संबंधित प्राधिकारियों से पार्थिव शरीर के संरक्षण हेतु मंजूरी और व्यवस्था;

VI. स्थानीय प्रवासन /सीमा शुल्क विभाग से मंजूरी।

ये प्रक्रियाएं अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती हैं, जो विशिष्ट देश के अपने विनियमों पर निर्भर करती हैं। इसलिए, पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः, अप्राकृतिक मृत्यु की तुलना में प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में पार्थिव शरीर को जल्दी वापस लाया जाता है।
सामान्य परिस्थितियों में, प्राकृतिक मृत्यु के मामलों में ऐसे मामलों की प्रक्रिया 3 से 14 दिनों के बीच पूरी कर ली जाती है। सामान्यतः, अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में देरी होती है, जहां स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कानूनी और पुलिस जांच पूरी की जानी होती है। उन मामलों में भी देरी होती है जहां मृतक की राष्ट्रीयता या पहचान स्थापित करने की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में मृतक की पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग भी की गई है। कुछेक मामलों में, मृतक के परिवार का पता नहीं चल पाता या वे पार्थिव शरीर को ले जाने या स्थानीय स्तर पर शवाधान/अंतिम संस्कार के लिए सहमति देने को तैयार नहीं होता, जिसके कारण देरी होती है।

भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों में की गई है ताकि संकट के समय तथा आपातकाल में अनिवासी भारतीयों को 'साधन परीक्षण के आधार' पर 'सबसे अधिक योग्य मामलों' में सहायता प्रदान की जा सके। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत प्रदान की गई सहायता में पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है।

*****